भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3422

दिनांक 08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

केरल में कुत्तों के काटने के मामले

†3422. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीरः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के संज्ञान में आया है कि 2025 के पहले तीन महीनों के दौरान केरल में 9,165 लोगों को कुत्तों ने काटा और एक व्यक्ति की कुत्ते के काटने से मृत्यु हो गई और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार के संज्ञान में आया है कि देश में मनुष्यों को प्रभावित करने वाले आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं के संबंध में जिला पशुपालन कार्यालय के पास कोई स्पष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) समय पर पशुओं के टीकाकरण के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में पर्याप्त एंटी रैबीज वैक्सीन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;
(घ) क्या सरकार के संज्ञान में आया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत यह पता चला है कि आवारा कुत्तों में रैबीज के स्रोत का पता लगाने के लिए कोई उचित अध्ययन नहीं किए जा रहे हैं; और
(ङ) सरकार द्वारा केरल के विभिन्न जिलों में पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) केंद्रों को जिला-वार सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): सरकार देश में कुत्तों द्वारा काटे जाने के मामलों से अवगत है। यह डेटा एकीकृत रोग निगरानी योजना-एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफ़ॉर्म (आईडीएसपी-आईएचआईपी) निगरानी प्रणाली के माध्यम से एकत्र किया जाता है।

(ग) से (ङ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित "राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन" के अंतर्गत, राज्यों को स्वास्थ्य कर्मचारियों की क्षमता निर्माण, मानव रेबीज टीकों और रेबीज इम्युनोग्लोबुलिन की खरीद, रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जागरूकता पैदा करना, समीक्षा बैठकें, निगरानी और निरीक्षण, मॉडल एंटी रेबीज क्लीनिक और घाव धोने की सुविधा केंद्रों की स्थापना के माध्यम से 'राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम' के तहत सहायता प्रदान की जाती है।

भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा राज्यों से प्राप्त मांग और कार्य योजना के अनुसार पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) के घटक 'पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता' (एएससीएडी) के अंतर्गत एंटी-रेबीज वैक्सीन की खरीद के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

इसके अलावा, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग ने भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से कुत्तों से होने वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है।

इसके अलावा, कुत्तों द्वारा काटे जाने के मामलों को नियंत्रित करने के लिए कुत्तों की आबादी का प्रबंधन एक प्रमुख कार्य है। इस संबंध में, स्थानीय निकाय पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम और एंटी रेबीज टीकाकरण को क्रियान्वित कर रहे हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार ने पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 बनाए हैं। इन नियमों का उद्देश्य नसबंदी और टीकाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से आवारा कुत्तों की आबादी का नियंत्रण करना है।

जिला स्तर पर जानवरों द्वारा काटे जाने की निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

- राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम (एनआरसीपी) के अंतर्गत, एकीकृत डेटा संग्रह और रिपोर्टिंग प्रणालियों के माध्यम से निगरानी बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं।
- जिला-स्तरीय स्वास्थ्य विभाग को एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (आईएचआईपी) के माध्यम से पशु द्वारा काटे जाने के मामलों की समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह के अनुसार, 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मानव रेबीज को एक अधिसूचित रोग के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- देश भर में चयनित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में रेबीज के निदान के लिए राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों की 14 नैदानिक प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया गया है।

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) ने पशु कल्याण संगठनों (एडब्ल्यूओ) और नगर निगमों को कन्नूर, कोल्लम, त्रिशूर, एर्नाकुलम (दो), अल्पपुझा, वायनाड में सात एबीसी केंद्रों पर पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) कार्यक्रम चलाने के लिए पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 के तहत परियोजना मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं।

*****